

पञ्जावली राजपेरा इम्री वादी कनील
अवस्थित। आभातयु समय में कठ-रुठ
कर बार-बार आवाजे लगावायी गयी।
ना तो वादी कनील और ना ही स्वयं
वादी उपस्थित हूँ। उ-तः पञ्जावली
पिनाविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 त्तिक
उ (अ-रम परकी अ-रम हाजरी) के तहत
खारिज की जाती है। पञ्जावली फ़ैलन
के शमार है नम्बर के कम की जाकर
दाखिल दफ्तर है।

19/7
23

उप जिला कलेक्टर

बीध का बरवाडा

